ग्वालियर जिला रीवा (म0प्र0)

R 1367 प/16

श्रीमती आशा मिश्रा पत्नी बृजेश मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी गुलाब नगर समान रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

—————निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

बिनीत कुमार मिश्रा तनय स्व0 महावीर प्रसाद मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी समान गुलाब नगर रीवा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

————— गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रा0क0 97 अ 74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 22/4/16 24-1-2013

अंतर्गत धारा 50 (1) म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1989

प्रकरण के तथ्य

यह कि आ0न0 519 रकवा 32.00 एकड स्थित ग्राम समान पटवारी हल्का समान तह0 हुजूर रीवा निगरानीकर्ता के पति एवं गैर निगरानीकर्ता के पैतृक भूमि है, जिसमें से जरिये रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 23/9/1988 के तहत अन्य के अतिरिक्त निगरानीकर्ता के पति (बृजेश मिश्रा) एवं गैर निगरानीकर्ता बिनीत कुमार मिश्र के 4.00 एकड, 4.00 एकड रकवा प्राप्त हुआ था। जिसमें से निगरानी कर्ता के पति बृजेश मिश्र के नाम 519/3 रकवा 4.00 एकड दर्ज हुआ था और गैर निगरानीकर्ता विनीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1367/दो/2016 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-5-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 97/अ–74 /2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.04. 2016 एवं 24.01.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आराजी नम्बर 519 रकवा 32.00 एकड़ स्थित ग्राम समान, तहसील हुजूर, रीवा में आवेदक के पति एवं अनावेदक की पैत्रिक भूमि है, जिसमें से जर्ये रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 23.09.1988 के तहत अनावेदक विनीत कुमार मिश्रा को 4.00 एकड़ एवं आवेदिका के प्रति बृजेश मिश्रा को 4.00 एकड़ प्राप्त हुआ था, जिसमें से आवेदक के पति बृजेश मिश्र के नाम सर्वे क्र. 519/3 रकवा 4.00 एकड़ दर्ज हुआ था तथा अनावेदक विनीत मिश्रा के नाम 5.19/6 रकवा 4.00 एकड़ दर्ज किया गया। जिसके पश्चात् आवेदिका के पति द्वारा किये गये विभाजन दिनांक13.03.1991 में 0.50 एकड़ आवेदिका को तथा रकवा 0.50 एकड़ आवेदिका की पुत्री प्रियंका को प्राप्त हुआ और	

आवेदक द्वारा बंटवारे में प्राप्त आराजी नं.519/3 का रकवा 0.50 एकड़ दर्ज किया गया, जिसमें सर्वे क्र.519/3क/1 रकवा 0.180 हैक्टेयर तथा 519/3क/2 रकवा 0.022 हैक्टेयर आवेदिका को बंटवारे में प्राप्त उक्त आराजी नम्बर में मकान बनाने की परमिशन नगर पालिका निगम, रीवा से वर्ष 2000 में लेकर विधिवत नक्शा पास कराकर मकान/दुकान का निर्माण कराया गया और उसी मकान में निवासरत् हैं। अनावेदक द्वारा आराजी नम्बर 519/6 रकवा 4.00 एकड़ में से वर्ष 2006-07 तक प्लाट बनाकर अंधिकाश भूमि विक्रय कर दी गयी व वर्ष 2006-07 में 519/6 रकवा 0.619 हैक्टेयर भूमि शेष बची, जिसके नक्शा तरमीम हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिया गया, जो प्रकरण क्रमांक 41/अ-74/2006-07 में अनावेदक के नाम नक्शा तरमीम कर दिया गया और अनावेदक द्वारा आराजी नम्बर 519/6 रकवा 0.619 हैक्टेयर को प्लार्टिंग कर पूरा रकवा विक्रय कर दिया गया और प्लाट पारियों के लिए छोड़ी गयी रास्ते की भूमि का रकवा 0.227 हैक्टेयर अनावेदक के नाम दर्ज रहा, जिसका दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी प्रभाव दबाव में लेकर आराजी नं.519/6 रकवा 0.619 हैक्टेयर के नक्शा में तरमीमशुदा भाग से अन्यत्र स्थान पर जहाँ आवेदिका का मकान स्थित है, जर्ये प्रकरण क्रमांक 97/अ-74/12-13 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 से तरमीम करा लिया, जबकि कोई नक्शा तरमीम की कार्यवाही मूल

नक्शे के अंदर ही की जाती है, उसके बाहर नहीं की जा सकती। किन्तु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा अधिकार विहीन व फर्जी कूटरचित कार्यवाही करते हुए आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जिसकी जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा तहसीलदार, हुजूर के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी कि न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2013 निरस्त किया जाये, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य विधिवत विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 22.04.2016 से धारा 32 का आवेदन निरस्त कर दिया और निर्देशित किया कि आवेदिका चाहे तो उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दु पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, तहसील हुजूर द्वारा नक्शा तरमीम की जो कार्यवाही आदेश दिनांक 24.01.2013 से की गयी है, वह अधिकारितारहित कार्यवाही है क्योंकि नक्शा तरमीम की कार्यवाही करने का अधिकार केवल कलेक्टर न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में कार्यवाही

अधिकारितारहित होने से धारा 32 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाना चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश दिनांक 22.04.2016 को पारित किया गया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6– आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार, तहसील हुजूर आदेश दिनांक 24.01.2013 से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और अधिकारितारहित आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में अधिकारितारहित आदेश किसी भी स्तर पर, किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर से नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक 24.01.2013 को प्राप्त किया है, जो अधिकारितारहित है। क्योंकि संहिता की धारा 107(5) में नक्शा तरमीम की अधिकारिता केवल कलेक्टर न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की कार्यवाही अधिकारितारहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है जहाँ नक्शा तरमीम कराये जाने का प्रश्न है तो प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 519/6 रकवा 0.227 हैक्टेयर के बाहर अन्यत्र स्थान पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गयी है, जो पूर्णतः अवैध, फर्जी एवं कपटपूर्ण है। आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। इस संबंध में 2007 (2)

एस.एस.सी 181, 2008 (14) एस.एस.सी 151 तथा ए.आई.आर 1991 एस.सी.1216, ए.आई. आर. 1981 एस.सी. 136 में सिद्धांत दिया गया है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने से पूर्व आवेदिका को समक्ष में सुनवाई अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार, तहसील हुजूर द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/अ-74/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 एवं 24.01.2013 अपास्त किये जाकर तहसीलदार, तहसील हुजूर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नाधीन भूमि आराजी क्रमांक 519/6 मि जो पृथक से बनाया गया है, वह समाप्त किया जाता है। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण निराकरण किया जा रहा है।

सदस्य